20.11.17

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत ।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी अपीलान्ट ने अदालत मातहत में दावा उद्घोषणा संशोधन खाता का पेश कर निवेदन किया कि भूमि खसरा नम्बर 24/2 रकबा 0.9500 हैक्टर, ख0नं024/4 रकबा 0.9500 हैक्टर, ख0नं0 24/1 रकबा 3.16 हैक्टर वाके ग्राम कल्याणपुरा का वादी राकेशकुमार उर्फ धनपतराम खातेदार काश्तकार है । वादी का जन्म से राकेश कुमार है । वादी को घर परिवार में जब वह छोटा था तब प्यार से धनपतराम के नाम से पुकारते थे। रेकार्ड में कभी भी धनपतराम नाम नहीं रहा । राकेशकुमार ही समस्त रेकार्ड में है किन्तु राजस्व रेकार्ड में धर परिवार में प्यार से बोले जाने वाले धनपतराम के नाम का इन्द्राज हो गया जिसे दुरूस्त किया जाकर राकेशकुमार दर्ज किया जावे ।अदालत मातहत ने बाद सुनवाई वादी का दावा खारिज कर दिया। जिससे क्षुब्ध होकर यह अपील पेश की गई ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई ।रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया ।अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस उभयपक्ष सुनी गई ।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया ।प्रदर्श-1 में ख0नं024/2, 24/4 कुल किता

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	-2 रकबा 1.9000 हैक्टर की खातेदारी धनपतराम पुत्र भागीरथ के नाम दर्ज है तथा प्रदर्श-2 में ख0नं0 24/1 रकबा 3.16 हैक्टर की खातेदारी धनपतराम पुत्र भागीरथ 0.33 हैक्टर की खातेदारी दर्ज है । प्रदर्श-3 परिवार कार्ड,प्रदर्श-4 अंक तालिकामा0शि0 बोर्ड सैकेण्ड्री स्कूल 2000, मूल निवास प्रमाण पत्र, भारत निर्वाचन आयोग पहचानपत्र,लाईसेन्स, पास पोर्ट, पेन कार्ड, आधार कार्ड, आदि में वादी का नाम राकेशकुमार पुत्र भागीरथसिंह दर्ज है । तहसीलदार के पत्रांक 757 दिनांक 1-11-2013 के अनुसार राकेश कुमार को ही धनपतराम के नाम से जाना जाता है दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है । जिसके साथ पटवारी की फर्द मौका में भी राकेशकुमार को ही धनपतराम के नाम से जाना जाता है । तथा इस बात की ताईद प्रस्तुत स्वतन्त्र गवाह भागीरथसिंह पुत्र हुक्माराम जाट, गोपालराम पुत्र लिखमाराम जाट से भी होती है ।सभी तथ्यों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि राकेशकुमार का नाम ही धनपतराम है जो उसका धर पर प्यार का नाम था । राजस्व रेकार्ड में धनपतराम दर्ज हो गया जबकि अन्य समस्त रेकार्ड राकेश कुमार के नाम से दर्ज है ।अत: हम अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर राजस्व रेकार्ड में धनपतराम के स्थान पर राकेशकुमार पुत्र भागीरथ सिंह दर्ज किया जाना उचित मानते हैं ।	

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी रामगढ शेखावाटी का निर्णय व एवं डिक्री दिनांक 9-7-15 को खारिज किया जाता है तथा उक्त विवादित आराजी में धनपतराम पुत्र भागीरथ के स्थान पर राकेशकुमार पुत्र भागीरथसिंह दर्ज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है । राजस्व रेकार्ड में संशोधन किया जावे । मिसल बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर